

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुनील कुमार I, (RAS)

राजस्व वाद पत्र संख्या :- 17/2012 GCMS 2012/00090

वादी :-

1. बाला देवी पुत्री धीरचंद जाति बागड़ा निवासी कुचामन सिटी
2. रामा देवी पुत्री धीरचंद जाति बागड़ा ब्राह्मण कुचामन सिटी
3. अणची देवी पुत्री धीरचंद जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी कुचामन सिटी
4. चूंकी देवी पुत्री धीरचंद जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी कुचामन सिटी

प्रतिवादीगण :-

1. बाबूलाल पुत्र धीरचंद जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी कुचामन सिटी
2. हरिराम पुत्र धीरचंद जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी कुचामन सिटी
3. हजारीलाल पुत्र नेमीचंद जाति कुमावत निवासी कुचामन सिटी
4. बनाराम पुत्र इन्द्राराम जाति कुमावत निवासी कुचामन सिटी
5. गोपाललाल पुत्र बनाराम जाति कुमावत निवासी कुचामन सिटी
6. आन्नद कंवर पत्नी श्री गजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी कुचामन सिटी
7. दिलेर खां पुत्र हाजी कासम खां जाति मुसलमान कायमखानी नि. कुचामन सिटी
8. उप पंजीयक कुचामन सिटी
9. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार


दावा बाबत इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीगण की ओर से
श्री पुष्पेन्द्र सिंह मेड़तिया प्रतिवादीगण की ओर से
श्री मोहम्मद हनीफ प्रतिवादीगण की ओर से

-:निर्णय :-

दिनांक :- 10/06/2025

वाद वादी द्वारा प्रस्तुत इस वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 स्व0 घीसी देवी बेवा धीरचंद के पुत्र-पुत्रिया है। सजरा खानदान इस प्रकार है:-



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

करबा कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि गत खसरा नंबर 302 रकबा 50 बीघा 2 बिस्वा स्थित रही है। जिसमें से 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि के काबिज खातेदार यारीन खां पुत्र हाजी काराम खां जाति कायमखानी निवासी कुचामन सिटी थे। खातेदार यारीन खां जी से उसकी 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि उसमें निर्मित कुआं व विद्युत पंपसेट कोटड़ी मकानादि सहित दिनांक 02.01.1981 को जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र के धीरी देवी पत्नी धीरचंद व बाबूलाल पुत्र धीरचंद जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासीयान कुचामन सिटी ने खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तब से वे उक्त भूमि पर बतौर खातेदार कृषक काबिज रहे हैं। गत ख. नं. 302 रकबा 50 बीघा 2 बिस्वा के नवीन भू-प्रबंध कार्यवाही में नवीन ख. नं. 1053 रकबा 0.35 है, ख. नं. 1054 रकबा 0.34 है, ख. नं. 1055 रकबा 0.04 है, ख. नं. 1056 रकबा 0.02 है, ख. नं. 1057 रकबा 2.01 है, ख. नं. 1058 रकबा 0.01 है, ख. नं. 1059 रकबा 0.05 है, ख. नं. 1099 रकबा 0.55 है, ख. नं. 1091 रकबा 2.06 है, ख. नं. 1092 रकबा 0.01 है, ख. नं. 1093 रकबा 0.08 है, ख. नं. 1094 रकबा 1.26 है, ख. नं. 1095 रकबा 0.05 है, ख. नं. 1096 रकबा 0.19 है, ख. नं. 1097 रकबा 0.21 है, नवीन भू-प्रबंध कार्यवाही में कायम हुए हैं। उपर्युक्त भूमि में 13 बीघा 10 बिस्वा के 1/2 हिस्सा के धीरी देवी व 1/2 हिस्सा का बाबूलाल संयुक्त रूप से काबिज खातेदार रहे हैं तथा धीरी देवी का स्वर्गवास सन् 1993 के आसपास हो जाने के बाद पुत्र हरिराम, बाबूलाल बतौर पुत्र बाला देवी, रामा देवी, अणची देवी, चूका देवी बतौर पुत्रियां स्वतः उत्तराधिकारी काबिज रहे हैं। जिससे धीरी देवी के हकदार 2 पुत्र व 4 पुत्रियां होने से प्रत्येक उत्तराधिकारी का इस 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि में 1/6 हिस्सा को हक हकूक जरिये उत्तराधिकारी स्वतः प्राप्त है। अर्थात् इस 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि में 1/12 हिस्सा की बाला देवी 1/12 हिस्सा की रामा देवी 1/12 हिस्सा की अणची देवी 1/12 हिस्सा की चूका देवी व 1/12 हिस्सा की प्रतिवादी बाबूलाल 1/12 हिस्सा की प्रतिवादी हरिराम बतौर उत्तराधिकारी हकदार है। चूंकि कयशुद्धा भूमि में से 1/2 हिस्सा पहले से प्रतिवादी बाबूलाल का संयुक्त रहा है। जिससे इस भूमि में 1/12 हिस्सा अपनी माता से बतौर उत्तराधिकारी प्राप्त होने से बाबूलाल के हक व अधिकार 1/12+1/2 हिस्सा कल 7/12 हिस्सा का हकदार है। अभी वादीगण ने अपनी माता के नाम की भूमि के बाबत् वादीगण के नाम वांछित तस्दीक करने हेतु हल्का पटवारीजी को कुछ दिनों पूर्व कहा तो उन्होंने इंकार कर दिया तथा वादीगण का नाम ही खाते में दर्ज नहीं होना बताया। ताबाद वादीगण की तरफ से तहसील हाजा से आवश्यक नकलात दिनांक 23.02.2012 को प्राप्त की तो जानकारी हुई कि वादीगण की माताजी धीरी देवी के स्वर्गवासोपरांत फौतगी नामान्तरकरण में केवल पुत्र हरिराम, बाबूलाल का नाम ही दर्ज कराया गया है। तथा वादीगण पुत्रियों का नाम दर्ज करने से छोड़ दिया गया है। जबकि वादीगण बतौर पुत्रियां उत्तराधिकारी होने से बाय बोध स्वतः हकदार है। नामान्तरकरण कार्यवाही में वादीगण का नाम दर्ज नहीं करने से वादीगण के जायज अधिकारों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ सकता। वादीगण अपनी माता के नाम की भूमि के खाते में अपना नाम दर्ज कराने की पूर्ण हकदार है। आवश्यक नकलात लेने पर यह भी जानकारी हुई कि नवीन भू-प्रबंध कार्यवाही में वादीगण की माता व भाई बाबूलाल के नाम नवीन ख. नं. 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1099 कुल रकबा 4.17 हैक्टर भूमि अंकित करते हुए धीरी देवी पत्नी धीरचंद, बाबूलाल पुत्र धीरचंद के नाम 13 बीघा 10 बिस्वा के बजाय 1.80 है. भूमि का खातेदारी अंकन किया गया है जबकि 13 बीघा 10 बिस्वा के 2.18 हैक्टर बनते हैं। यानि 0.38 है. भूमि की खातेदारी अंकन किया गया है जा बिना किसी वैध दस्तावेज के बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के भू-प्रबंध अधिकारियों को पूर्व से चले आ रहे हैं। खातेदारी इंद्राज को हटाने घटाने



अखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

का कोई क्षेत्राधिकार नहीं रहा है। भूप्रबंध अधिकारियों द्वारा खातेदारी में रदोबदल कमीवेशी का इद्रांज शून्य है। मौके पर गत ख. नं. 302 के भाग नवीन ख. नं. 1055, 1056, 1057 की भूमि पर 1/2 हिस्सा घीसी देवी का रहा व 1/2 हिस्सा बाबूलाल का रहा। घीसी देवी के स्वर्गवास के बाद उनके वारिसान उपयुक्त अनुसार पुत्र पुत्रियों का बराबर हक रहा है मौके पर इन तीनों खसरा की भूमि 13 बीघा 10 बिस्वा 2.18 है। लेकिन भूप्रबंध अधिकारियों की गलती से उक्त भूमि का रकबा 2.07 है। अंकित किया है जबकि मौके पर यह 2.18 है। भूमि है। इतना ही नहीं अभी तहसील हाजा से नकलात निकल वाते समय सुना गया कि उपर्युक्त भूमि के बाबत् प्रतिवादीगण 1, 2 ने अपने नाम की भूमि का बैचाननामा भी कर दिया। आवश्यक जांच पड़ताल करने व तहसील हाजा से दिनांक 28.02.2012 को तथा कथित विक्रय पत्र की नकल प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र सं. 2012000512 दिनांक 15.02.2012 को प्रतिवादी बाबूलाल के नाम से ख. नं. 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1099 कुल रकबा 4.17 है। में से 1.80 है। में अंकन में से अपने आप को 3/4 हिस्सा अभिलिखित करते हुए बैचाननामा प्रतिवादी सं. 3, 4, 5, 6 के नाम दिशा विशेष पड़ौस अंकित करते हुए बैचाननामा निष्पादित कराकर पंजीयन कराया गया है। जो सरासर गलत व अवैध है। तथा वादीगण के जायज अधिकारों पर निष्प्रभावी व शून्य है क्योंकि पैतृक भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच व प्रतिवादी सं. के बीच अभी तक कोई विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है। मौके पर विक्रेता बाबूलाल अकेले का 3/4 हिस्सा पर भौतिक कब्जा ही नहं रहा तो उसके द्वारा अपने आपका 3/4 हिस्सा दर्शाकर बैचान करने का कोई हक नहीं था और न ही तथाकथित क्रेतागण को उक्त हिस्सा क्रय करने का हक था। क्रेतागण प्रतिवादी सं. 3 ता 6 द्वारा न तो दिनांक 15.02.2012 को कब्जा प्राप्त किया और न ही आज दिन भी इनका कब्जा या हक है तथाकथित क्रेतागण अजनबी है जिन्हें बिना विभाजन के उक्त भूमि में प्रवेश करने का कोई हक नहीं है। उक्त जानकारी दिनांक 28.02.2012 को होने पर वादीगण की तरफ से क्रेतागण की जांच पड़ताल कर उक्त गलत बैचाननामा बाबत् क्रेतागण प्रतिवादीगण सं. 1, 3, 4, 5 को दिनांक 1.03.2012 को कहा गया तो उन्होंने धमकी दे दी है कि वे जबरन उपरोक्त भूमि पर प्रवेश कर वादीगण के हक की भूमि व मकानादि व कुएं पर जबरन कब्जा करके वादीगण को सदा के लिए बेदखल करगे चाहे जो कुछ भी करले तथा यह भी धमकी दे दी कि वे उक्त भूमि पर प्लाट काटकर कृषि भूमि का स्वरूप ही बदल देंगे। प्रतिवादीगण धन बल व भुज बल के सहारे वादीगण की पैतृक भूमि पर जबरन प्रवेश कर कब्जा करने में कामयाब हो गए तो वादीगण के जायज अधिकारों पर बेजा कुठाराघात होगा। तथा अपूर्तिनीयाक्षति होगी जिसकी पूर्ति रूपयों इत्यादि में कभी नहीं हो सकेगी। वादीगण के कानूनी अधिकारों पर वज्रपात ही हो जावेगा। इसलिए प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा हेतु यह वाद लाना आवश्यक हुआ है। बिनाय दावा 3 माह पूर्व पटवारीजी द्वारा वादीगण के नाम की तस्दीक करने से इंकार करने पर व रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी देने पर व दिनांक 23.02.2012 को आवश्यक नकलात लेने पर नामान्तरकरण में नाम छोड़ देने की जब आगे की खतौनियों में घीसी देवी के स्थान पर प्रतिवादी नं. 1, 2 का ही नाम दर्ज होने की जानकारी होने पर व दिनांक 28.02.12 को तथा विक्रय पत्र की नकल लेने पर उपरोक्त हेराफेरी की जानकारी होने व दिनांक 01.03.2012 को प्रतिवादी सं. 1, 3, 4, 5 द्वारा उक्त धमकी बेदखली बाबत् देने पर बमुकाम कुचामन सिटी तहसील कुचामन में पैदा हुई। प्रतिवादी सं. 1, 2, 7 सह खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार है तथा प्रतिवादी सं. 3, 4, 5, 6 के नाम साजिशी विक्रय पत्र निष्पादित होने व उक्त धमकी देने आवश्यक पक्षकार है तथा प्रतिवादी सं. 8 क्षेत्रीय उपपंजीयक होने से



जिल्हाधिकारी
कुचामन सिटी (डोडवाना-कुचामन)

व प्रतिवादी सं 9 क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी होने से व प्रतिवादी सं. 10 प्रतिनिधि सरकार होने से औपचारिक पक्षकार है।

इस्तदुआ :-

कस्बा कुचामन सिटी की सरहद में स्थिति भूमि गत ख. नं. 302 के नवीन ख. नं. 1053 रकबा 0.35 है. ख. नं. 1054 रकबा 0.34 है. ख. नं. 1055 रकबा 0.04 है. ख. नं. 1056 रकबा 0.02 है. ख. नं. 1057 रकबा 2.01 है. ख. नं. 1058 रकबा 0.01 है. ख. नं. 1059 रकबा 0.05 है. ख. नं. 1099 रकबा 0.55 है. जुगले 4.17 है. में अंकित 1.80 है. के स्थान पर 2.18 है. में 1/12 हिस्सा का वादी सं. 4 व 1/12 हिस्सा वादी सं. 2 1/12 हिस्सा वादी सं. 3 1/12 हिस्सा वादी सं. 3 1/12 हिस्सा वादी सं., 4 व 7/12 हिस्सा का प्रतिवादी सं. 1, 1/12 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 खातेदार कृषक है, इस आशयक कि खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्की बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें, तथा 1.80 है. में अंकन के स्थान पर 2.18 है. दर्ज की जावें। by meets & bounds उपर्युक्त 2.18 है. भूमि में वादीगण की 4/12 1/3 हिस्सा भूमि का भूविभाजन की डिक्की सादिर फरमाई जाकर वादीगण की सेपरेट होल्डिंग कायम करने आज्ञा प्रदान करावे तथा राजस्व अभिलेख में इसी माफिक अमलदरामद करने हेतु तहसीलदारजी को आज्ञा प्रदान करावें। ख. नं. 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1099 कुल रकबा 4.17 है. में से 2.18 है. भूमि में वादीगण के 4/12 हिस्सा 1/3 हिस्सा के कब्जा काश्त व अधिकारों में प्रतिवादीगण 1 ता 6 किसी प्रकार का दखल न तो स्वयं डाले तथा न ही अपने एजेन्टी से डलवाए तथा कृषि भूमि का मौका स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्की बहक वादीगण प्रतिवादीगण 1 ता 6 सादिर फरमाई जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 3 4 5 व 6 की ओर से जवाब दावा मय प्रतिवादा काउंटर क्लेम पेश किया गया जिसके अनुसार वाद पत्र का पैरा सं. 1 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है तथा इसका उत्तर प्रतिवादी सं. 1 व 2 ही देने में सक्षम है। वाद पत्र का पैरा सं. 2 सही उल्लेखित नहीं होने से अस्वीकार है तथा उत्तर है कि कस्बा कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नंबर 302 रकबा 50 बीघा 2 बिस्वा रही जिसमें से 13 बीघा 10 बिस्वा यानि 1.80 है. भूमि के काबिज खातेदार यासीन खां पुत्र हाजी कासम खां जाति कायमखानी निवासी कुचामन सिटी थे। खातेदार यासीन खां से उनकी 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि यानि 1.80 है. भूमि उसमें निर्मित कुआं, पंपसेट, विद्युत कनेक्शन सहित प्रतिवादी सं. 1 द्वारा ही खरीद की हुई थी। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि खरीद करने के समय आदर व श्रद्धापूर्वक अपनी माता घीसी देवी का नाम विक्रय विलेख में दर्ज करवा लिया जबकि उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा ही खरीद की गई थी तथा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से खरीद करने के कारण विक्रय घीसी देवी का नाम केवल बेनामी खरीद करने के कारण विक्रय विलेख में नाम दर्ज था। वादग्रस्त कृषि भूमि खरीद करने से पहले प्रतिवादी सं. 1 संयुक्त परिवार से अलग हो गया था। प्रतिवादी सं. 1 व उसकी माता संयुक्त परिवार से अलग होकर गांव कलाणी तहसील रोहित जिला पाली से आकर कुचामन सिटी में निवास करने लगे थे। वादीगण व प्रतिवादी सं 2 ने कभी भी कुचामन सिटी में रहवास नहीं किया। वाद पत्र का पैरा सं. 3 राजस्व प्रविष्टियों से संबंधित है इसलिए सही है। वाद पत्र का पैरा सं. 4 गलत होने से अस्वीकार है तथा प्रत्युत्तर है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से खरीद की थी। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि खरीद करने के समय आदर व श्रद्धापूर्वक अपनी माता का नाम विक्रय विलेख में दर्ज करवा दिया



अधिकारी
कुचामन सिटी (कस्बा कुचामन)

जबकि उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा ही खरीद की गई थी तथा प्रतिवादी सं. 1 के स्वअर्जित आय से खरीद करने के कारण स्व. श्रीमती घीसी देवी का नाम केवल मात्र बेनामी खरीद के कारण विक्रय विलेख में नाम दर्ज था। उक्त वादग्रस्त भूमि के खरीद के समय से ही कब्जाकाशत प्रतिवादी सं. 1 का रहा तथा उक्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा पानी की टंकी, गुमटी व मकानात आदि का निर्माण किया। उपरोक्त वादग्रस्त संपूर्ण भूमि प्रतिवादी सं. 1 के ही हक-हकूक कब्जेकाशत व स्वामित्व की रही है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 के कब्जेकाशत व स्वामित्व व खातेदारी की कमी नहीं रही। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से भूमि खरीद के समय आदर व श्रद्धापूर्वक अपनी माता का नाम विक्रय विलेख में दर्ज करवा दिया था। अपनी माता घीसी देवी का नाम केवल मात्र बेनामी खरीद के कारण विक्रय विलेख में दर्ज था। घीसी देवी का नाम बेनामी खरीद से राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 को उक्त वादग्रस्त भूमि में कोई हक-अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं न ही घीसी देवी के वारिस होने मात्र से उक्त वादग्रस्त भूमि में कोई हक-अधिकार वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 को उत्पन्न होते हैं न ही उनका कोई हक-हिस्सा है। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा घीसी देवी के स्वर्गवास के पश्चात् प्रतिवादी सं. 1 को जानकारी के बिना हल्का पटवारी से मिलकर अपना नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवा लिया। वाद पत्र का पैरा सं. 5 गलत होने से अस्वीकार है तथा प्रत्युत्तर है कि वादीगण को फौतगी नामान्तरकरण की जानकारी प्रारंभ से ही है एवं केवल मात्र भूमाफियों के बहकावे में आकर वादीगण ने बिना किसी अधिकार के यह वाद प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण ने सही तथ्य न्यायालय के सामने छुपाये है तथा स्वच्छ मन से न्यायालय में नहीं आये हैं। इसलिए वादीगण माननीय न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वाद पत्र पैरा सं. 6 राजस्व अभिलेख से संबंधित है तथा उत्तर है कि सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा खरीद की गई भूमि का रकबा कम कर दिया गया है। वाद पत्र का पैरा सं. 7 गलत है तथा उत्तर है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से खरीद की थी तथा श्रद्धा व आदरपूर्वक अपनी माता घीसी देवी का नाम विक्रय विलेख में दर्ज करवा दिया था। घीसी देवी के नाम बेनामी खरीद किये जाने से उसका नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज था। वादग्रस्त संपूर्ण भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 का कब्जाकाशत व स्वामित्व रहा है तथा खातेदारी की रही है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 स्व. घीसी देवी के वारिस होने मात्र से उनको वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार के हक अधिकार व स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है। सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के कब्जेकाशत व स्वामित्व व खातेदारी की भूमि का रकबा अवश्य कम कर दिया गया था। वाद पत्र का पैरा सं. 8 गलत होने से अस्वीकार है तथा प्रत्युत्तर है कि वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादी सं. 3, 4, 5 व 6 को बेचान की गई 3/4 हिस्से की भूमि की जानकारी प्रारंभ से ही है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादी सं. 3, 4, 5 व 6 को बेचाना की गई 3/4 हिस्से की भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख सं. 2012000512 दिनांक 15.02.2012 को विशेष पड़ौस दिखाकर किया गया बेचान विधिसम्मत किया गया है। प्रतिवादी सं. 3, 4, 5 व 6 ने उक्त भूमि बाबत संपूर्ण राजस्व रेकार्ड की जांच कर मौके पर भूमि की स्थिति व कब्जे की जांच कर पड़ौसियों से पूछताछ कर ही प्रतिफल की राशि अदा कर उपरोक्त 1.35 हैक्टर भूमि मय मकान, कुआं, विद्युत कनेक्शन, पंपसेट, कोटड़ी व पानी की टंकी को खरीद कर भौतिक कब्जा बेचान के दिन ही प्राप्त कर लिया था तथा खरीदशुद्धा भूमि के चारों ओर पट्टियों व तारों से तारबंदी कर दी थी। खरीद के दिन से आज दिन तक कब्जाकाशत प्रतिवादी सं. 3, 4, 5 व 6 का है। प्रतिवादी सं. 3, 4, 5 व 6 एक सद्भावी क्रेता है तथा प्रतिफल की राशि



उपखण्ड अधिकारी
कुचापन सिटी (डोडवाना-कुचापन)

- 6 - वाद सं - 17/2012 माता देवी बनाम बाबुलाल गौरह

अदाकर भूमि खरीद की है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा भूमि यासीन खां से खरीद की थी उस समय भी यासीन खां द्वारा बेचाननामें में भूमि के पड़ोस अंकित कर बेचान किया था। खरीदशुद्धा भूमि का पहले से ही खातेदारों ने अपनी सहमति से काशत की सुविधा के लिए बंटवारा कर लिया था। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादी सं. 3, 4, 5, व 6 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किया गया बेचान विधिसम्मत है। पैरा सं. 8 (1) जिस तरह से वर्णित किया गया है गलत है तथा उत्तर है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से खरीद की गई थी। खरीद के समय श्रद्धा व सम्मान से बेचाननामें में अपनी माता घीसी देवी का नाम दर्ज करवा दिया था। घीसी देवी का नाम मात्र बेनामी खरीद के कारण रिकॉर्ड में दर्ज था। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 की कब्जेकाशत स्वामित्व व खातेदारी की भूमि थी तथा प्रतिवादी सं. 3, 4, 5, व 6 द्वारा प्रतिफल की राशि अदाकर भूमि खरीद की है वे सद्भावी क्रेता है तथा खरीद के समय से ही कब्जा काशत प्राप्त कर लिया था तथा आज दिन वे काबिज खातेदार कृषक है। पैरा सं. 8 (3) जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत है तथा उत्तर है कि प्रतिवादी सं. 3, 4, 5, व 6 द्वारा खरीद की दिनांक 16.02.2012 की खरीदशुद्धा भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया था तथा पट्टिया रोपकर तारबंदी कर सीव-नीव अलग से कायम कर ली थी तथा आज दिन भी कब्जाकाशत प्रतिवादी सं. 3, 4, 5, व 6 का चला आ रहा है। विभाजन के लिए राजस्थान काशतकारी कानून के अनुसार आपसी सहमति से किया गया बंटवारा विधिमान्य है तथा सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पैरा सं. 8 (4) जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत है तथा उत्तर है कि वादग्रस्त भूमि का विभाजन खातेदारी की आपसी सहमति से पूर्व से ही हो रखा था। यासीन खां ने प्रतिवादी सं. 1 को भूमि का बेचान पड़ोस अंकित कर किया था व कब्जा सुपुर्द किया था। भूमि का विभाजन मौके पर ही हो रखा है तथा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादी सं. 3, 4, 5, व 6 को भी पड़ोस अंकित कर बेचान किया तथा मौके पर काबिज है। प्रतिवादी सं. 3, 4, 5, व 6 सद्भावी क्रेता है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिंदु परिवार की संयुक्त भूमि नहीं है इसलिए अजनबी क्रेता का सिद्धांत प्रतिवादी सं. 3, 4, 5, व 6 पर लागू नहीं होता है तथा अजनबी क्रेता नहीं है। वाद पत्र का पैरा सं. 9 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत है तथा प्रत्युत्तर है कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादी सं. 3, 4, 5, व 6 को अपने हिस्से की भूमि मय कुआं, विद्युत कनेक्शन, पंप सेट, मकानात, कोटड़ी व पानी की टंकी सहित किये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 15.02.2012 की जानकारी पूर्व में ही रही है। वादीगण द्वारा दिनांक 28.02.2012 को जानकारी होने की बात सरासर गलत है तथा भूमाफियाओं के प्रभाव में आकर झूठे तथ्य उल्लेखित किये हैं या यह वाद पेश किया है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादी सं. 3, 4, 5, व 6 को हक-हिस्से की भूमि मय कुआं, पंप सेट, विद्युत कनेक्शन, मकानात, कोटड़ी, पानी की टंकी सहित रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 15.02.2012 को कर कब्जा प्रतिवादीगण को मौके पर सुपुर्द कर दिया था तथा प्रतिवादीगण ने पट्टियां रोपकर भूमि के चारों ओर तारबंदी कर दी थी। खरीद के दिन से ही कब्जाकाशत प्रतिवादी सं. 3, 4, 5, व 6 का चला आ रहा है इसलिए वादीगण को प्रतिवादी सं. 3, 4, 5, व 6 द्वारा जबरन कब्जा करने की धमकी देने के कथन वादीगण द्वारा सरासर झूठे उल्लेखित किये हैं। प्रतिवादी सं. 3, 4, 5, व 6 की खरीदशुद्धा कब्जेकाशत व खातेदारी अधिकारों की भूमि पर वादीगण को किसी प्रकार के हक अधिकार अर्जित नहीं होते हैं इसलिए उन्हें असुविधा होने व अपूर्तनीय क्षति होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। मामला प्रथम दृष्ट्या प्रतिवादी सं. 3, 4, 5, व 6 के पक्ष में बखूबी साबित है अगर प्रतिवादी सं. 3, 4, 5, व 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो उन्हें भारी असुविधा होगी तथा अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति निकट भविष्य में किसी



जयपुर जिले के डी.डी.ओ. का कार्यालय
कुछपत्र सिटी (डी.डी.ओ. का कार्यालय)

भी द्रव्य के रूप में होना संभव नहीं होगा तथा प्रतिवादी सं. 3, 4, 5, व 6 को अपनी खरीदशुद्धा कब्जेकाश्त सुदा खातेदारी अधिकारों की भूमि पर प्राप्त कानूनी अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत रथाई निषेधाज्ञा काबिज खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र का पैरा सं. 10 गलत होने से अस्वीकार है तथा उत्तर है कि वादीगण को राजस्व रेकर्ड की प्रविष्टियों की पूर्व से ही जानकारी थी तथा विक्रय विलेख की भी पूर्व से ही जानकारी थी। प्रतिवादी सं. 3, 4, 5, व 6 द्वारा धमकी देने के कथन तथा जानकारी नहीं होने के कथन वादीगण द्वारा सरासर गलत उल्लेखित किये हैं केवल भूमाफियाओं के बहकावे में आकर वादीगण ने बिना किसी अधिकार के वाद पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण ने सही तथ्य न्यायालय के सामने छिपाये हैं तथा न्यायालय में स्वच्छ मन से नहीं आये हैं। वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई विनायदावा उत्पन्न नहीं होता है इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद काबिल खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र का पैरा सं. 11 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत है तथा अस्वीकार है। प्रतिवादी सं. 8, 9 व 10 राज्य सरकार के प्रतिनिधि है तथा वाद आवश्यक प्रकृति का होने से वादीगण का वाद राज्य सरकार को नियमानुसार 80 सीपीसी का नोटिस दिये बिना प्रस्तुत किया गया है इसलिए वाद निरस्त किये जाने योग्य है। वाद पत्र का पैरा सं. 12 कानूनी है जो काबिल गौर अदालत वाला है। वाद पत्र का पैरा सं. 13 कानूनी है जो काबिल गौर अदालत वाला है। वाद पत्र का पैरा सं. 14 प्रार्थना वादी है जो झूठे तथ्यों पर आधारित होने से तथा प्रस्तुत वाद की परिस्थिति में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

करबा कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नंबर 302 रकबा 50 बीघा रही है जिसके नवीन ख. नं. 1053 रकबा 0.35 है. ख. नं. 1054 रकबा 0.34 है. ख. नं. 1055 रकबा 0.04 है. ख. नं. 1056 रकबा 0.02 है. ख. नं. 1057 रकबा 2.01 है. ख. नं. 1058 रकबा 0.01 है. ख. नं. 1059 रकबा 0.05 है. ख. नं. 1099 रकबा 0.55 है. ख. नं. 1091 रकबा 2.06 है. ख. नं. 1092 रकबा 0.01 है. ख. नं. 1093 रकबा 0.08 है. ख. नं. 1094 रकबा 1.26 है. ख. नं. 1095 रकबा 0.05 है. ख. नं. 1096 रकबा 0.19 है. ख. नं. 1097 रकबा 0.21 है. कायम हुए स्थिति चली आ रही है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी गत खसरा नंबर 302 रकबा 50 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि यानि 1.80 हैक्टर भूमि के काबिज खातेदार यासीन खां पुत्र हाजी कासम खां जाति कायमखानी निवासी कुचामन सिटी थे। यासीन खां से उनकी 13 बीघा 10 बिस्वा यानि 1.80 है. भूमि उसमें निर्मित कुआं, पंपसेट, विद्युत कनेक्शन सहित प्रतिवादी सं. 1 द्वारा खरीद की गई थी। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि खरीद करने के समय आदर व श्रद्धापूर्वक अपनी माता घीसी देवी का नाम विक्रय विलेख में दर्ज करवा दिया गया जबकि उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से खरीद करने के कारण स्व. घीसी देवी का नाम केवल मात्र बेनामी खरीद करने के कारण विक्रय विलेख में नाम दर्ज था। वादग्रस्त भूमि खरीद करने से पहले प्रतिवादी सं. 1 संयुक्त परिवार से अलग हो गया था।

प्रतिवादी सं. 1 उसकी माता संयुक्त परिवार से अलग होकर गांव कलाणी तहसील रोहिट जिला पाली से आकर कुचामन सिटी में निवास करने लग गये थे। वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 ने कभी कुचामन सिटी में निवास नहीं किया। उक्त भूमि को खरीद करने के समय से ही कब्जा काश्त प्रतिवादी सं. 1 का रहा। प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी खरीदशुद्धा भूमि में पानी की टंकी, गुमटी व मकानात आदि बनवाये। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादी सं. 3, 5, व 6 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख सं. 2012000512 दिनांक 05.02.2012 को विशेष



जिला अधिकारी
कुचामन सिटी (डी.डी.वा.न.) कुचा

पड़ोस दर्शाते हुए बेचान विधिसम्मत किया गया जो पड़ोस निम्न प्रकार से है पूरब से कटाणी रास्ता, पश्चिम में दिलेर खां की भूमि, उत्तर में हरिराम की भूमि व दक्षिण में दिलेर खां की भूमि दर्शाते हुए 1.38 है. भूमि का बेचान कर दिया व कब्जा भौतिक रूप से उसी दिन सुपुर्द कर दिया था जिसमें प्रतिवादी सं. 3, 4, 5 व 6 द्वारा पट्टियां रोपकर तारबंदी कर दी थी। खरीद के दिन से आज दिन तक कब्जाकाशत प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जब यासीन खां से भूमि खरीद की थी उस समय भी यासीन खां ने बेचाननामे में भूमि के पड़ोस अंकित कर बेचान किया था। खरीदशुदा भूमि का पहले ही खातेदारों में आपसी सहमति से काशत की सुविधा के लिए बंटवारा कर लिया था। प्रतिवादी सं. 3, 4, 5 व 6 ख. नं. 1055 रकबा 0.04 है. ख. नं. 1056 रकबा 0.02 है. ख. नं. 1057 रकबा 2.01 है. दक्षिणी तरफ पूरब से पश्चिम की भूमि 1.32 है. पर काविज काशत है तथा पट्टियां रोपकर तारबंदी कर रखी है तथा अपने अपने हिस्से पर आज दिन भी काशत करते हैं इसलिए प्रतिवादी सं. 3, 4, 5 व 6 अपने हक हिस्से व कब्जे काशत की खातेदारी भूमि ख. नं. 1055 रकबा 0.04 है. ख. नं. 1056 रकबा 0.02 है. ख. नं. 1057 रकबा 2.01 है. दक्षिणी तरफ पूरब से पश्चिम की भूमि 1.32 है. खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर रेकर्ड में दुरुस्ती करवाकर अपना नाम अलग से बटा नंबर लगवाकर करवाना चाहते हैं जिसके लिए प्रतिदावा बाबत घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरुस्ती पेश करना लाजमी हुआ है। एक डिक्री इस आशय की वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 के विरुद्ध एवं प्रतिवादी सं. 3, 4, 5 व 6 के पक्ष में इस आशय की सादिर फरमाई जावें कि मौजा कुचामन सिटी के ख. नं. 1055 रकबा 0.04 है. ख. नं. 1056 रकबा 0.02 है. ख. नं. 1057 रकबा 2.01 है. दक्षिणी तरफ पूरब से पश्चिम की भूमि 1.32 है. के खातेदार काशतकार घोषित फरमाया जाकर राजस्व रेकर्ड में अलग से बटा नंबर दर्ज कर अलग जोत कायम कर लगान अलग से निर्धारित करवाने के आदेश फरमाया जावे। एवं उनके कब्जे काशत बाजोत में किसी प्रकार का दखल नहीं करे तथा अवैध कब्जा कर बेदखल नहीं करे इस आशय की डिक्री बाबत स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 के विरुद्ध सादिर फरमाई जावे।

प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जवाब दावा पेश कर किसी प्रकार अनापत्ति जाहिर नहीं की है। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश किया गया जिसके अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार कानून 1955 में माता पिता की संपत्ति में बेटी के हिस्से का प्रावधान नहीं था। वह संयुक्त हिंदू परिवार होने की स्थिति में हिस्सा मांग सकती थी। यह भेदभाव दूर करने के लिए कानून बदला गया जो नौ सितंबर 2005 से लागू हुआ। जस्टिस अनिल दवे और जस्टिस ए.के.गोयले की बेंच ने अपने आदेश में कहा, जब तक विशेष उल्लेख न किया जाए जब तक किसी भी प्रावधान में संशोधन की तारीख से ही वह अमल में आता है। 2005 के मौजूदा संशोधन कानून में ऐसा नहीं कहा गया है कि यह रेट्रोस्त्रोसपेक्टिव है। हमे इस बात का कोई कारण समझ नहीं आ रहा कि इसका फायदा उठाने के लिए संशोधन की तारीख के बाद बेटी का पंम होना जरूरी है। इतना जरूरी है कि बेटी और उसके माता पिता संशोधन लागू होने की तारीख पर जीवित हो। परंतु हमारी माता की मृत्यु दिनांक 13.8.1993 व पिता की मृत्यु दिनांक 10.1.2003 में हुई। अतः संपूर्ण 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से शेष विक्रय से बची भूमि में हिस्सा का हक हकूक जरिये उत्तराधिकारी प्रतिवादी सं. 2 हरीराम का हक हकूक का स्वतः प्राप्त है। उपरोक्तानुसार चार पुत्रियों की माता पिता की भूमि में कोई उत्तराधिकार नहीं है। अतः यह दावा निरस्त किया जावें। प्रतिदावा अप्रार्थी सं. 2,1 व 7 की संयुक्त अधिकार खातेदार कब्जे काशत की वाके कुचामन में निम्नांकित विवरण की कृषि भूमि आई हुई है:-



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डी.डी.नम्बर) कुचामन,

क्र.सं.	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	1053	0.3500 है	बाराणी 2	
2	1054	0.3400 है	बाराणी 2	
3	1055	0.400 है	गै मुदाणी	
4	1056	0.0200 है	गै मुदाणी	
5	1057	2.0100 है	घाही 2, जाव 2	95.55 रु. 1.05 रु.
6	1058	0.0100 है	गै मुकुआ	
7	1059	0.8500 है	बाराणी 2	9.24 रु.
8	1099	0.5500 है	बाराणी 2	2.75 रु.

कुल खसरा 8 योग रकबा 4.1700 है, कुल लगान दर 109.04 रु. है। विक्रय विलेख प्रतिवादी सं. 1 द्वारा विशिष्ट रूप से सीमाओं का अंकन करते हुए 1.35 है, भूमि का अंतरण किया गया जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी प्रावधानों के अनुसार शून्य विधि विरुद्ध निष्प्रभावी होकर निरस्तनीय है। प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में एवं प्रतिवादी सं. 1 व 3 से लगायत 6 के विरुद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे की दिनांक 15.02.2012 को प्रतिवादी सं. 1 द्वारा कुचामन सिटी में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 1053 से 1099 कुल रकबा 4.17 है, में से 1.35 है, जो विशिष्ट हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 से लगायत 6 को अंतरित किया गया है तथा विक्रय विलेख जिसका पंजीयन प्रतिवादी सं. 8 के कार्यालय में पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 186 पृष्ठ सं. 99 कम सं. 2012000512 पर किया गया है। उक्त विक्रय विलेख प्रतिवादी सं. 2 के हितों के विरुद्ध निरस्तनीय है इस आशय की डिक्री प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में एवं वादीगण 1 2 3 4 एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 लगायत 6 के विरुद्ध पारित की जावे। प्रतिवादी सं. 8 को इस आशय के निर्देशात्मक निर्देश किये जावे कि प्रतिवादी सं. 8 उक्त विक्रय विलेख के निरस्ती का पृष्ठांकन स्वयं के रिकॉर्ड में दर्ज करें। प्रतिवादी सं. 3 लगायत 6 उसके प्रतिनिधि वारिसान एसाइनीज को इस आशय की निषेधाज्ञा आदेश से पाबंद किया जावे कि वह उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी सं. 2 को बलात बेदखल नहीं करें, वाद के कृषकीय कार्यों में बाधाएं नहीं करें, उक्त कृषि भूमि का किसी को अंतरण नहीं करे उसे खुर्दबुद नहीं करे भूमि का स्वरूप परिवर्तन नहीं करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में व प्रतिवादी सं. 1 से 3 लगायत 6 वादीगण 1 2 3 4 के विरुद्ध पारित की जावे। प्रकरण की परिस्थितियों के अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय प्रतिवादी सं. 2 को प्रतिवादी सं. 1 से 3 लगायत 6 से दिलवाया जाना उचित समझती हो कि डिक्री प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 लगायत 6 वादीगण 1 2 3 4 के विरुद्ध पारित की जावे। प्रतिवादी व्यय प्रतिवादी सं. 2 को प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 लगायत 6 से दिलवाया जावे। प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 लगायत 6 के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर माननीय न्यायालय की पालना सुनिश्चित करावे एवं अभियुक्तगण प्रतिवादी सं. 1 से 3 लगायत 6 को दण्डित करवाने की कृपा करावे एवं प्रतिवादी सं. 2 हरीराम को उसके खेत जायदाद एवं जमीन आदि की सुरक्षा करवाने व उचित न्याय दिलावे।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा कस्बा कुचामन सिटी की सरहद में स्थिति भूमि गत ख. नं. 302 के नवीन ख. नं. 1053 रकबा 0.35 है, ख. नं. 1054 रकबा 0.34 है, ख. नं. 1055 रकबा 0.04 है, ख. नं. 1056 रकबा 0.02 है, ख. नं. 1057 रकबा 2.01 है, ख. नं. 1058 रकबा 0.01 है, ख. नं. 1059 रकबा 0.05 है, ख. नं. 1099 रकबा 0.55 है, जुमले 4.17 है, में अंकित 1.80 है, के स्थान पर 2.18 है, में 1/12 हिस्सा का वादी सं. 4 व 1/12 हिस्सा वादी सं. 2 1/12 हिस्सा वादी सं. 3 1/12 हिस्सा वादी सं. 3 1/12 हिस्सा वादी सं., 4 व 7/12 हिस्सा का



जयपुर जिला न्यायालय
कुचामन सिटी (डी.डी.वा. कुचामन)

का कोई क्षेत्राधिकार नहीं रहा है। भूप्रबंध अधिकारियों द्वारा खातेदारी में रदोबदल कमीवेशी का इद्रांज शून्य है। मौके पर गत ख. नं. 302 के भाग नवीन ख. नं. 1055, 1056, 1057 की भूमि पर 1/2 हिस्सा घीसी देवी का रहा व 1/2 हिस्सा बाबूलाल का रहा। घीसी देवी के स्वर्गवास के बाद उनके वारिसान उपयुक्त अनुसार पुत्र पुत्रियों का बराबर हक रहा है मौके पर इन तीनों खसरा की भूमि 13 बीघा 10 बिस्वा 2.18 है। लेकिन भूप्रबंध अधिकारियों की गलती से उक्त भूमि का रकबा 2.07 है। अंकित किया है जबकि मौके पर यह 2.18 है। भूमि है। इतना ही नहीं अभी तहसील हाजा से नकलात निकल वाते समय सुना गया कि उपर्युक्त भूमि के बाबत् प्रतिवादीगण 1, 2 ने अपने नाम की भूमि का बैचाननामा भी कर दिया। आवश्यक जांच पड़ताल करने व तहसील हाजा से दिनांक 28.02.2012 को तथा कथित विक्रय पत्र की नकल प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र सं. 2012000512 दिनांक 15.02.2012 को प्रतिवादी बाबूलाल के नाम से ख. नं. 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1099 कुल रकबा 4.17 है। में से 1.80 है। में अंकन में से अपने आप को 3/4 हिस्सा अभिलिखित करते हुए बैचाननामा प्रतिवादी सं. 3, 4, 5, 6 के नाम दिशा विशेष पड़ोस अंकित करते हुए बैचाननामा निष्पादित कराकर पंजीयन कराया गया है। जो सरासर गलत व अवैध है। तथा वादीगण के जायज अधिकारों पर निष्प्रभावी व शून्य है क्योंकि पैतृक भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच व प्रतिवादी सं. के बीच अभी तक कोई विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है। मौके पर विक्रेता बाबूलाल अकेले का 3/4 हिस्सा पर भौतिक कब्जा ही नहं रहा तो उसके द्वारा अपने आपका 3/4 हिस्सा दर्शाकर बैचान करने का कोई हक नहीं था और न ही तथाकथित क्रेतागण को उक्त हिस्सा कय करने का हक था। क्रेतागण प्रतिवादी सं. 3 ता 6 द्वारा न तो दिनांक 15.02.2012 को कब्जा प्राप्त किया और न ही आज दिन भी इनका कब्जा या हक है तथाकथित क्रेतागण अजनबी है जिन्हें बिना विभाजन के उक्त भूमि में प्रवेश करने का कोई हक नहीं है। उक्त जानकारी दिनांक 28.02.2012 को होने पर वादीगण की तरफ से क्रेतागण की जांच पड़ताल कर उक्त गलत बैचाननामा बाबत् क्रेतागण प्रतिवादीगण सं. 1, 3, 4, 5 को दिनांक 1.03.2012 को कहा गया तो उन्होंने धमकी दे दी है कि वे जबरन उपरोक्त भूमि पर प्रवेश कर वादीगण के हक की भूमि व मकानादि व कुएं पर जबरन कब्जा करके वादीगण को सदा के लिए बेदखल करगे चाहे जो कुछ भी करले तथा यह भी धमकी दे दी कि वे उक्त भूमि पर प्लाट काटकर कृषि भूमि का स्वरूप ही बदल देंगे। प्रतिवादीगण धन बल व भुज बल के सहारे वादीगण की पैतृक भूमि पर जबरन प्रवेश कर कब्जा करने में कामयाब हो गए तो वादीगण के जायज अधिकारों पर बेजा कुठाराघात होगा। तथा अपूर्तिनीयाक्षति होगी जिसकी पूर्ति रूपयों इत्यादि में कभी नहीं हो सकेगी। वादीगण के कानूनी अधिकारों पर वज्रपात ही हो जावेगा। इसलिए प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा हेतु यह वाद लाना आवश्यक हुआ है। बिनाय दावा 3 माह पूर्व पटवारीजी द्वारा वादीगण के नाम की तस्दीक करने से इंकार करने पर व रेकर्ड में उनका नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी देने पर व दिनांक 23.02.2012 को आवश्यक नकलात लेने पर नामान्तरकरण में नाम छोड़ देने की जब आगे की खतौनियों में घीसी देवी के स्थान पर प्रतिवादी नं. 1, 2 का ही नाम दर्ज होने की जानकारी होने पर व दिनांक 28.02.12 को तथा विक्रय पत्र की नकल लेने पर उपरोक्त हेराफेरी की जानकारी होने व दिनांक 01.03.2012 को प्रतिवादी सं. 1, 3, 4, 5 द्वारा उक्त धमकी बेदखली बाबत् देने पर बमुकाम कुचामन सिटी तहसील कुचामन में पैदा हुई। प्रतिवादी सं. 1, 2, 7 सह खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार है तथा प्रतिवादी सं. 3, 4, 5, 6 के नाम साजिशी विक्रय पत्र निष्पादित होने व उक्त धमकी देने आवश्यक पक्षकार है तथा प्रतिवादी सं. 8 क्षेत्रीय उपपंजीयक होने से



जिला अधिकारी
कुचामन सिटी (डी.डी.वा. कुचामन)